**संख्या-3-2183/86-2014-82/2013**

प्रेषक,

संतोष कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 11 जुलाई, 2014

विषय- खनन पट्टो के नवीनीकरण सम्बन्धी व्यवस्था को समाप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश मे बालू, मौरम, बजरी एंव बोल्डर क रिक्त क्षेत्रों को उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली,, 1963 के अध्याय-4 के प्राविधानों के अन्तर्गत ई-टेण्डरिंग प्रणाली क साथ-साथ निविदा प्रणाली सम्बन्धी निर्गत किये गये शासनादेश संख्या-1277/86-2012-278/2011, दिनांक 31 मई, 2012 एवं शासनादेश संख्या-171086-2014-278/2011, दिनांक 09-07-2014 यथावत लागू रहेंगे।

**2-** उक्त के अतिरिक्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1277/ 86-2012-278/2011, दिनांक 05-09-2012 के क्रम मे निर्गत शासनादेश संख्या-561(ए)/86-2013-278/2011, दिनांक 26-02-2013 को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुये खनन पट्टों के नवीनीकरण की व्यवस्था समाप्त किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।

कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। भवदीय,

(सन्तोष कुमार)
विशेष सचिव

**संख्या-2182(1)/86-2014 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 ।
2- प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, वन विभाग उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य वन संरक्षक।
6- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।
7- समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/ खनन अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।
8- सूचना निदेशक, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि वह विभिन्न प्रचार माध्यमों से शासन के निर्णय का प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
9- अनुभागीय गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गेन्दन लाल)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in